फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/38) **श्रीमती भंवरीबाई धाकड़ बनाम श्री नरेश धाकड़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.12.2022	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री नरेश जणवा - वकील अपीलार्थी 2. अनुपस्थित - वकील प्रत्यर्थी **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, बेगूं, बप्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 15.10.2013** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 13.12.2022 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, बेगूं, बप्रकरण संख्या 03/2013 निर्णय दिनांक 15.10.2013 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील की अपीलार्थी श्रीमती भंवरीबाई जाट द्वारा एक आवेदन अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बेगूं समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का रामपुरिया तहसील बेगूं मे खातेदार भोला धाकर की खातेदारी की कृषि आराजीयात की भूमि स्थित है। श्री भोला द्वारा श्रीमती भंवरीबाइ के पक्ष में दिनांक 18.12.2006 को एक वसीयत निष्पादित की है। श्री भोला की देहांत दिनांक 12.07.2013 को हो गया, जिससे उक्त वसीयत दिनांक 18.12.2006 के आधार पर उसके नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश प्रदान करावें। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा आपत्ति बाबत सूचना पत्र अखबार में प्रकाशित करवाया। जिस पर श्री नरेश धाकड़ द्वारा श्री भोला द्वारा उसके पक्ष में अंतिम वसीयत दिनांक 02.07.2013 निष्पादित होने का कथन करते हुए उसके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। ● उक्त आवेदन व प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, बेगूं द्वारा निर्णय दिनांक 15. 10.2013 पारित किया गया कि ‘‘पत्रावली में वसीयतपत्र दिनांक 18.12. 2006 श्रीमती भंवरी के पक्ष में निष्पादित की छाया प्रति प्रस्तुत की गई जिसमें गवाह हीरालाल एवं नन्दकिशोर होकर नोटेरी से प्रमाणित है। पत्रावली में इन दोनों गवाह एवं नोटेरी का बतौर गवाह उपस्थित नहीं किया गया है जबकि भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार अनुप्रमाणन साक्षी का वसीयत को प्रमाणित करने हेतु उपस्थित होना आवश्यक है। वसीयत पत्र दिनांक 02. 07.2013 की छाया प्रति जो नरेशकुमार के पक्ष में है पत्रावली में प्रस्तुत हुई जिसका गवाह म्याचंद का शपथपत्र पत्रावली में प्रस्तुत है जिसने वसीयत पत्र पर स्व. भोला ने उसके सामने अगुंठा लगाना बताया है किन्तु भंवरी की ओर से प्रस्तुत शपथपत्रों में भोला जी की मृत्यु के 2 माह पूर्व तक सुद बुद्ध नहीं होना लिखा है हालांकि इस बाबत कोई चिकित्सकीय	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/38) **श्रीमती भंवरीबाई धाकड़ बनाम श्री नरेश धाकड़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

साक्ष्य भंवरी की ओर से प्रस्तुत नहीं है। चूंकि नामान्तरकरण एक फिसकल प्रोसेडिंग है जिसमें किसी के हक अधिका तय नहीं हो सकते है, वसीयत दिनांक 18.12.2006 विधि अनुसार प्रमाणित नहीं हुई है एवं वसीयत दिनांक 02.07.2013 मृतक भोला की मृत्यु के मात्र 10 दिन पूर्व निष्पादित है, जिन्हे इस स्तर पर सरसरी कार्यवाही/समरी ट्रायल में विवेचन नहीं किया जा सकता है। दौनों पक्ष अपनी अपनी वसीयत को सक्षम न्यायालय से प्रमाणित एवं सिद्ध कराने हेतु स्वतंत्र है। वसीयत की जाने वाली भूमि पैत्रिक है जिसकी वसीयत नहीं की जा सकती है। जहां तक मृतक भोला का विरासत का प्रश्न है किसी भी मृत व्यक्ति के नाम पर भूमि नहीं रह सकती है जिससे हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अंकित मृतक भोला के प्रथम वर्ग को कोई उत्तराधिकारी नहीं होने से द्वितीय वर्ग के उत्तराधिकारी उसके सगे भाई हीरा एवं बहिन भंवरी के पक्ष में नामान्तरकरण किया जाना हम उचित समझते है। अतः आदेश दिया जाता है कि मृतक खातेदार भोला उर्फ भोलीराम पिता प्यारा धाकड़ निवासी कंथारियां की विरासत का नामान्तरण उसके विधिक वारिस भाई हीरा एवं बहिन भंवरी के नाम जरिये नामान्तरण किया जावें।''

- उक्त निर्णय के विरूद्ध एक अपील अपीलार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे निर्णय दिनांक 09.09.2016 से क्षेत्राधिकार विहिन होने से सक्षम न्यायालय में प्रस्तुतीकरण हेतु लौटाई गई।

तत्पश्चात् उक्त निर्णय दिनांक 15.10.2013 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 26.12.2017 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का संलग्न किया जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449-50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 11.02.2021 को दर्ज की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 23.11.2022 को अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी की ओर से दौराने कार्यवाही बावजुद सूचना कभी कोई उपस्थित नहीं।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में प्रस्तुत किया है कि पटवारी हल्का रामपुरिया तहसील बेगूं मे खातेदार भोला धाकर की खातेदारी की कृषि आराजीयात की भूमि स्थित है। श्री भोला द्वारा श्रीमती भंवरीबाइ के पक्ष में दिनांक 18.12.2006 को एक वसीयत निष्पादित की है। श्री भोला की देहांत दिनांक 12.07.2013 को हो गया, जिससे उक्त वसीयत दिनांक 18.12.2006 के आधार पर उसके नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/38) **श्रीमती भंवरीबाई धाकड़ बनाम श्री नरेश धाकड़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आवेदन तहसीलदार समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार द्वारा आपत्ति बाबत सूचना पत्र अखबार में प्रकाशित करवाया। जिस पर श्री नरेश धाकड़ द्वारा श्री भोला द्वारा उसके पक्ष में अंतिम वसीयत दिनांक 02.07.2013 निष्पादित होने का कथन करते हुए उसके पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। नरेश धाकड़ द्वारा श्री भोला की बीमारी का फायदा उठाते हुए वसीयतनामा लिखा लिया जबकि अपीलार्थी द्वारा श्री भोला के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से उसकी सेवाचाकरी की और उसकी धर्मपत्नि की रजामंदी से वसीयत दिनांक 18.12.2006 उसके पक्ष में निष्पादित की। उक्त वसीयत दिनांक 18.12.2006 भोला एवं गवाहान द्वारा हस्ताक्षकर कराकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराई गई है। गवाहान के शपथ पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत किये गये है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत को संदेहास्पद मानते हुए उक्त निर्णय अवैधानिक तरिके से पारित कर दिया जो निरस्तनीय है। उक्त निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो क्षेत्राधिकार में नहीं होने से निर्णय दिनांक 09.09.2016 से लोटाई गई, जिसकी जानकारी अपीलार्थी को 16.11.2017 को हुई और तत्पश्चात विधिक राय प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम के पेश की गई। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर विवादित निर्णय 15.10.2013 अपास्त किया जाकर वसीयत दिनांक 18.12.2006 के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने का आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये- 1. 2018(1) आरआरटी 246 2. आरआरडी 14.11.2012 पेज 765 3. 2013 डीएनजे (एससी) 62 4. आरआरडी 14.11.2012 पेज 721 5. आरआरटी 2015(2) पेज 1434 **अधिवक्ता अपीलार्थी को सुन कर पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया।** अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने पर देरी को उपशमित किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायहित में स्वीकार कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य विवाद श्री भोला की वसीयत के आधार पर नामान्तरकरण पारित किये जाने को लेकर है। वसीयतपत्र दिनांक 18.12.2006 श्रीमती भंवरी के पक्ष में निष्पादित की, जिसे श्रीमती भंवरी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष दोनों गवाह एवं नोटेरी को बतौर गवाह उपस्थित नहीं किया गया है जबकि	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 35/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/38) **श्रीमती भंवरीबाई धाकड़ बनाम श्री नरेश धाकड़ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 एवं साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के अनुसार अनुप्रमाणन साक्षी का वसीयत को प्रमाणित करने हेतु उपस्थित होना आवश्यक है। वसीयत पत्र दिनांक 02.07.2013 जो नरेशकुमार के पक्ष में है, जिसके बारे में भंवरी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत शपथपत्रों में भोला जी की मृत्यु के 2 माह पूर्व तक सुद बुद्ध नहीं होना लिखा है। स्पष्ट है कि दोनों वसीयत पत्रों पर उभय पक्षों द्वारा संदेह एवं आपत्ति जाहिर की है। इस न्यायालय का यह मत है कि जब किसी मृतक की विरासत को लेकर वसीयती वारिसान के मध्य विवाद हो तो वसीयती वारिस के लिये एकमात्र विकल्प वसीयत को सक्षम न्यायालय में साबित करके अपने आपको एकल वारिस घोाषित कराना है। यह स्पष्ट है कि वसीयत विवादग्रस्त एवं संदिग्ध है तो खातेदार के विधिक वारिसों को नामान्तरकरण में प्राथमिकता दी जायेगी। विवादित वसीयत की वैधता के सम्बन्ध में कोई अंतिम निष्कर्ष देना राजस्व न्यायालय के लिये नामान्तरकण की संक्षिप्त कार्यवाही में संभव नहीं है। वसीयत की प्रमाणिकता की जांच सिविल न्यायालय द्वारा की जा सकती है।

उपर्युक्त विवेचन के अनुसार विवादित वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण तसदीक नहीं किया जा सकता है। पक्षकारान को चाहिये कि वह इसे साबित करवाने के लिये सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करे। सक्षम न्यायालय ही इस तरह के प्रकरण में निर्णय के लिये उचित स्थान है। नामान्तरकरण की कार्यवाही बहुत ही संक्षिप्त (Summary) कार्यवाही होती है जिसमें साक्ष्य ग्रहण नहीं की जाती है जबकि नियमित वाद में दस्तावेजों को साक्ष्य के आधार पर ग्राह्य / अग्राह्य किया जाता है। इसके अतिरिक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी (Fiscal Proceedings) कार्यवाही होती है जो किसी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा नहीं करती। केवल लगान के भुगतान के लिये ही नामान्तरकरण खोला जाता है। अतः तहसीलदार, बेगूं द्वारा मृतक भोला के विधिक वारिसानों के पक्ष में नामान्तरकरण खोले जाने का निर्णय विधिसम्मत है। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है।

फलस्वरूप **अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है** और तहसीलदार बेगूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.10.2013 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(अंजलि राजोरिया)
I.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर

फर्द अहकाम
न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर